50/2011

23 RVD

नन्द किशोर बनाम राज्य सरकार

K. K पुरोहित GP

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/11/2016	प्रार्थी / अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित नहीं। उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रार्थी / अतिकमी द्वारा तत्कालीन नायब तहसीलदार रूपनगढ द्वारा गैर मुमकिन नदी पर अतिकमण किये जाने की पटवारी हल्का जाजोता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी कर जवाब सुनवाई का अवसर प्रदान कर की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में सारहीन होने एवं चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। राजकीय अभिभाषक के कथनों एवं रेकार्ड पत्रावली के अवलोकन मनन उपरान्त प्रकट तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर इसी कदर से सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। (गौरव गोयल) जिला कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner